

सेक्शन 16: रजब के महीने के पहले दिन और तीन दिनों के रोजे के बारे में

निम्नलिखित रिवायत अबू जाफ़र मुहम्मद इब्न बाबवियह से मंसूब है, जो उन्होंने अपनी किताब मन ला यहज़ुरुह अल-फ़कीह में बयान की है। वह फ़रमाते हैं कि अबुल हसन मूसा इब्न जाफ़र (अ.स.) ने फ़रमाया:

“रजब एक अज़ीम महीना है। इस महीने में अल्लाह नेकियों को कई गुना बढ़ा देता है और गुनाहों को मिटा देता है। जो शख्स रजब में एक दिन का रोज़ा रखता है, उससे जहन्नम एक साल की दूरी पर कर दी जाती है, और जो शख्स रजब में तीन दिन के रोज़े रखता है, उसके लिए जन्नत यकीनी हो जाती है।”

सेक्शन 17: रजब के पहले दिन, सात दिन, आठ दिन, दस दिन और पंद्रह दिन के रोज़ों की फ़ज़ीलत

निम्नलिखित रिवायत दस्तावेज़ों की एक सिलसिलेवार कड़ी के साथ मेरे दादा अबी जाफ़र अत-तूसी से मंसूब है, जो उन्होंने *तहज़ीब-उल-अहक़ाम* की किताब में “अस-स्याम” के बाब में अली इब्न हसन इब्न फ़ज़़ाल के ज़रिये बयान की है। यह रिवायत कसीर बाइआ अन-नवी से है, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अबी जाफ़र अल-बाकिर (अ.स.) को यह फ़रमाते हुए सुना:

“जब हज़रत नूह (अ.स.) ने कश्ती के जूटी पहाड़ (1) पर ठहरने की आवाज़ सुनी, तो उन्हें डर महसूस हुआ। फिर हज़रत नूह (अ.स.) ने कश्ती से बाहर झाँका। उन्होंने अपनी उँगली से इशारा करते हुए हाथ उठाया और कुछ कहा, जिसका मतलब था: ‘ऐ मेरे रब! यह कितना अज़ीम है!’

बेशक, जब हज़रत नूह (अ.स.) रजब के पहले दिन कश्ती पर सवार हुए, तो उन्होंने अपने साथ मौजूद तमाम जिन्नों और इंसानों को

उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। उन्होंने फ़रमाया कि जो शख्स रजब के उस दिन रोज़ा रखेगा, उससे जहन्नम की आग एक साल की दूरी पर कर दी जाएगी।

जो शख्स रजब में सात दिन रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसके लिए जहन्नम के सात दरवाज़े बंद कर देगा। जो आठ दिन रोज़ा रखेगा, उसके लिए जन्नत के आठ दरवाज़े खोल दिए जाएंगे।

जो दस दिन रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसकी दुआँ कुबूल फ़रमाएगा।

और जो पंद्रह दिन रोज़ा रखेगा, उससे कहा जाएगा कि अब अपने आमाल नए सिरे से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी गई है। और जो जितना ज़्यादा करेगा, अल्लाह उसे उतना ही ज़्यादा अता फ़रमाएगा।

सेक्शन 18: रजब के कुछ खास दिनों और पूरे महीने के रोज़े की फ़ज़ीलत

यह रिवायत मुख्तलिफ़ किताबों में बयान की गई है। मेरे दादा अबी जाफ़र अल-तूसी ने यह रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ (अ.स.) से और उन्होंने रसूल-ए-ख़ुदा (स.अ.व.) से नक़ल की है। आपने फ़रमाया:

“जो शख्स रजब के महीने में तीन दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उसके लिए पूरे साल के हर दिन के रोज़े का सवाब लिख देता है। जो शख्स रजब के महीने में सात दिन रोज़ा रखे, अल्लाह उसके लिए जहन्नम के सात दरवाज़े बंद कर देता है। जो शख्स रजब के महीने में आठ दिन रोज़ा रखे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के आठ दरवाज़े खोल देता है। जो शख्स रजब के महीने में पंद्रह दिन रोज़ा रखे, अल्लाह उससे आसान हिसाब लेगा। और जो शख्स रजब के पूरे महीने रोज़ा रखे, अल्लाह उसके लिए अपनी रज़ा लिख देता है। और जिस शख्स के लिए अल्लाह अपनी रज़ा लिख दे, उसे वह कभी अज़ाब नहीं देगा।”

सेक्शन 19: रजब के महीने में एक दिन रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत
यह रिवायत अबी जाफ़र इब्न बाब र.ह. ने *सवाबुल आमाल* में और मेरे दादा अबी जाफ़र अल-तूसी ने *तहज़ीबुल अहकाम* में, अबुल हसन मूसा (अ.स.) से नक़ल की है। आपने फ़रमाया:

“रजब जन्नत की एक नहर का नाम है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। जो शख्स रजब के महीने में एक दिन रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसे उस नहर से पिलाएगा।”

सेक्शन 20: रजब के महीने और दूसरे औक़ात में रोज़े की नियत करने के बारे में

रोज़े की नियत के सिलसिले में किताब *अल-मिज़मार* में कुछ बातें बयान की गई हैं, जो अक़लमंद लोगों के लिए काफ़ी हैं। यहाँ हम कुछ और बातें बयान करते हैं।

रोज़े की अहम शर्तों में से एक यह है कि इंसान इस बात को याद रखे कि कुदरत वाले अल्लाह ने उसे अपना फ़ज़ल अता किया है, उसे अपने दीन के अहकाम पर अमल करने की इजाज़त दी है, और उसे इस काबिल बनाया है कि वह उसकी बरकतों का हक़दार बने — दुनिया और आख़िरत की ऐसी नेमतें, जिनका वह पहले हक़दार नहीं था।

तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर तुम किसी बड़े बादशाह के सामने मौजूद हो, और वह दिन में कई बार तुम्हारी तरफ़ मुतवज्जेह हो, तुमसे अहम मामलों पर बात करे, तो उस दिन खाना-पीना छोड़ देना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम समझते हो कि उस बादशाह ने तुम पर एहसान किया है। यह बात उस वक़्त भी सही है, जब तुम जानते हो कि वह बादशाह न तुम्हारा खालिक है, न उसने तुम्हारी परवरिश की है, और न ही उसने दुनिया और आख़िरत को पैदा किया है।

तो फिर अक़ल यह इजाज़त नहीं देती कि इंसान अल्लाह तआला के साथ उसके किसी बंदे से भी बदतर सुलूक करे, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वह नेमतें अता की हैं, जो कोई और अता नहीं कर सकता। इस बुनियाद पर, अगर तुम देखो कि तुम्हारा रोज़ा किसी बादशाह की गुलामी से भी ज़्यादा अधूरा है, तो समझ लो कि तुमने अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की है, और ऐसा अमल किया है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर देता है, उसके ग़ज़ब को बुलाता है, और उस खुशी, बरकत और दराज़ उम्र के ज़ाया होने का सबब बनता है, जो अल्लाह ने तुम्हें अता की थी।

खालिस रोज़ा और रियाकारी (दिखावे) के साथ रखे गए रोज़े में फ़र्क़

अगर तुम्हें खालिस नियत से रखे गए रोज़े और रियाकारी के साथ रखे गए रोज़े में फ़र्क़ को लेकर शक हो, तो इन बातों पर गौर करो:

1. यह देखो कि दिन के आखिर में जब तुम इफ़्तार करते हो और तुम्हारे सामने कई नेक रोज़ेदार मौजूद हों, तो क्या तुम्हें उनके सामने इफ़्तार करते हुए शर्म महसूस होती है या नहीं?
अगर जवाब हाँ में है, तो समझ लो कि तुम्हारे रोज़े में कुछ न कुछ रियाकारी शामिल है, जिसके ज़रिये तुम लोगों की कुर्बत हासिल करना चाहते हो।

2. अपने अंदर झाँक कर देखो कि तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद है—
क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे रोज़े की ख़बर अल्लाह तआला को हो, या यह कि लोगों को मालूम हो?
क्या रोज़े पर लोगों की तारीफ़ तुम्हें दुनियावी फ़ायदा पहुँचाती है?
अगर तुम यह चाहते हो कि अल्लाह के अलावा लोग तुम्हारे रोज़े को जानें ताकि वे तुम्हारी इज़ज़त करें और तुम्हारे साथ ज़्यादा सखावत बरतें, या अगर तुम्हें यह ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग जानें बजाय इसके कि अल्लाह जाने—तो समझ लो कि तुम्हारा रोज़ा अधूरा है और तुम इबादत में कमी कर रहे हो।

3. अपने नफ़्स को जाँचो कि क्या तुम उस वक़्त ज़्यादा शौक से रोज़ा रखते हो जब बहुत से लोग रोज़ा रख रहे हों, और जब कम लोग हों तो सुस्ती महसूस करते हो?

अगर ऐसा है, तो जान लो कि तुम्हारी असल नियत लोगों का साथ देना और उनकी मज़ी की पैरवी करना है, न कि अल्लाह की इताअत।

इस हिसाब से तुम्हारा रोज़ा उतना ही अधूरा है जितना तुम लोगों की पैरवी करते हो और उस अल्लाह की इताअत से गाफ़िल रहते हो, जो सब पर पूरा इख़्तियार रखता है।

4. यह भी देखो कि तुम्हारा रोज़ा सिर्फ़ सवाब हासिल करने के लिए है या रब्बुल-आरबाब की इताअत के लिए।

अगर तुम यह महसूस करो कि सवाब और जहन्नम से निजात की बात न होती तो तुम रोज़ा न रखते और खाने-पीने से परहेज़ न करते, तो समझ लो कि तुम अल्लाह की अज़मत की वजह से उसकी इबादत को ज़रूरी नहीं समझते।

अगर सवाब और जहन्नम से हिफ़ाज़त न होती, तो तुम न उसकी पुरानी और मौजूदा नेमतों की कद्र करते और न ही उसकी अज़मत का एहताराम करते।

5. यह भी जाँचो कि अगर तुम मालदार होते और इफ़्तार के लिए लज़ीज़ और तरह-तरह के खाने तैयार करते, तो क्या तुम उन शानदार खाने पर ज़्यादा खुश होते?

और अगर इफ़्तार सादा होता—सिर्फ़ ज़रूरत भर, बिना गोश्त और तरह-तरह के पकवानों के—तो क्या तुम अल्लाह की इताअत और रोज़े पर उतने खुश न होते?

अगर ऐसा है, तो समझ लो कि तुम्हारी खुशी खाने की वजह से है, न कि अल्लाह की वजह से, जो तमाम नेमतों का मालिक है। ऐसी खुशी तुम्हारे रोज़े की कामिलियत और दुरुस्ती पर शक पैदा करती है।

6. रोज़े की हालत में अपनी अक़ल, दिल और जिस्म के तमाम आज्ञा की हिफ़ाज़त करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी नियत हमेशा खालिस और मुकम्मल रहे।

इबादत में खालिस नियत की निरंतरता में रुकावटें

इन मिसालों पर गौर करो। अगर तुम दिन के कुछ हिस्से में खालिस नियत से रोज़ा रखते हो, फिर तुम्हारे सामने लज़ीज़ खाना आ जाए, या तुम्हारी पसंदीदा बीवी सिंगार करके तुम्हें अपनी तरफ़ मायल करे, या कोई फ़ायदेमंद सफ़र सामने आ जाए, या इसी तरह के दुनियावी मामले पेश आएँ, जिनकी वजह से तुम सुस्ती महसूस करो और रोज़ा तोड़ने का इरादा कर लो—तो याद रखो कि अगर तुम्हारा कोई खादिम होता जो तुम्हारी खिदमत और इताअत में सुस्ती दिखाता, तो तुम उसे बरखास्त कर देते और उस पर मेहरबानी न करते।

अगर तुम्हें यह लगे कि इफ़्तार करना और मुस्तहब रोज़े को जारी न रखना ज़्यादा बेहतर है, तो उस अल्लाह की इताअत करने में शर्म महसूस न करो जो ग़ैब से वाकिफ़ है। अल्लाह की मर्ज़ी से इफ़्तार करो और लोगों की मलामत की परवाह न करो। मसलन, अगर तुम रोज़े से हो और तुम्हारा कोई दीनी भाई तुम्हें खाने की दावत देता है, तो अल्लाह की दावत कुबूल करो और उसके नबी (मग़ब) के हुक्म पर अमल करते हुए दावत को रोज़े पर तरजीह दो।

एक और मिसाल यह है कि अगर तुम मुस्तहब रोज़ा रखे हुए हो और दिन के किसी हिस्से में यह महसूस हो कि रोज़ा तुम्हें फ़र्ज़ अमल या किसी ज़्यादा अहम मुस्तहब अमल से रोक रहा है, तो तुम्हें रोज़ा तोड़ देना चाहिए।

जिस अमल को अल्लाह तआला ने ज़्यादा अहमियत दी है, उसी को ज़्यादा अहमियत दो, और जिसको कम अहमियत दी है, उसे उसी दर्जे में रखो।

यह न कहो कि जिन लोगों को मेरे रोज़े की ख़बर है, उन्हें मेरे रोज़ा

तोड़ने की वजह मालूम नहीं। अगर तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारा रोज़ा रियाकारी की शक्ल बन जाता है और यह लोगों की इबादत करने के बराबर है, जो एक बड़ा गुनाह है।

जब भी ऐसे दुनियावी मामले पेश आएँ जो अल्लाह की रज़ा के लिए सही बहाने नहीं माने जाते और तुम्हारी नियत की निरंतरता में रुकावट डालें, तो फ़ौरन तौबा करो, शर्मिंदगी महसूस करो, अपनी ख़ालिस नियत को दोबारा कायम करो और अल्लाह तआला से मदद माँगो कि वह इस ख़तरे को दूर कर दे।

अगर तुम सुस्ती दिखाओ और इसे टालते रहो, तो यह सुस्ती कुबूल इबादत में कमी मानी जाएगी।

याद रखो कि ख़ालिस नियत की निरंतरता में हर रुकावट तुम्हारे दुश्मन की तरह है। फिर तुम अपने मालिक के सामने रहते हुए अपने दुश्मन को तरजीह कैसे दे सकते हो?

अगर तुम अपने मालिक पर दुश्मन को तरजीह दोगे, तो फिर कौन तुम्हारी दुनिया और आखिरत की ज़रूरतें पूरी करेगा? आखिर में, रोज़े से तुम्हारी नियत यह होनी चाहिए कि तुम अल्लाह तआला की इबादत उसी तरह करो, जैसा उसकी शान के लायक है। यही रोज़ा कामयाब और फ़लाह पाने वालों का रोज़ा है।

****सेक्शन 21 - रोज़ा रखने में मजबूर (उज़्र वाले) लोगों के लिए अमल****

इस हिस्से में हम उन लोगों के लिए अमल बयान करते हैं, जिनके पास रोज़ा न रखने का शरई उज़्र मौजूद है, जैसा कि अल्लाह तआला ने इस्लामी शरीअत में मुकर्रर फ़रमाया है। पहले भी बयान किया जा चुका है और फिर दोहराया जा रहा है कि माहे रजब में रोज़ा रखने की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है।

लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उज़्र होता है और वे रोज़ा रखने की कुदरत नहीं रखते। ऐसे उज़्र वाले लोग चाहते हैं कि रोज़े की जगह कोई ऐसा अमल करें जिससे वे सवाब हासिल कर सकें। इसी वजह से यह बयान करना मुनासिब है कि जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, वे उसकी जगह क्या कर सकते हैं। अल्लाह तआला ने हम सब के लिए अपनी तरफ़ रुजू करने के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। रिवायतों में मुस्तहब रोज़े के बदले दो अमल बयान किए गए हैं—एक ज़्यादा माली हैसियत वालों के लिए और दूसरा ग़रीबों के लिए।

जो अमल ज़्यादा हैसियत वालों के लिए रोज़े के बदले बयान हुआ है, वह हज़रत मुहम्मद बिन याक़ूब कुलैनी और दूसरे रावी बयान करते हैं, जो आइम्मा-ए-इलाही (मग़ब) से नक़ल करते हैं:

“मुस्तहब रोज़े के एक दिन के बदले ग़रीबों को 750 ग्राम खाने की सदाक़ा देना काफ़ी है।”

और एक दूसरी रिवायत में यह भी बयान हुआ है कि मुस्तहब रोज़े के एक दिन के बदले एक दिरहम सदाक़ा देना भी काफ़ी है। मुमकिन है कि यह फ़र्क़ सदाक़ा देने वाले की हैसियत के मुताबिक़ हो।

इस किताब के आखिरी हिस्से में माहे रजब के अमलात के सिलसिले में एक और रिवायत बयान की जाएगी, जिसमें यह कहा गया है कि हर मुस्तहब रोज़े के बदले एक रोटी सदाक़े में देना मुस्तहब है। शायद यह सबसे कम मिक्कदार ग़रीबों के लिए रियायत के तौर पर रखी गई हो।

अब यह बयान किया जाता है कि जो ग़रीब लोग रोज़ा नहीं रख सकते, वे क्या करें। यह रिवायत मेरे दादा अबी जाफ़र अल-तूसी (अल्लाह उन पर रहमत करे) ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से नक़ल की

है कि रसूलुल्लाह (मग़ब) ने फ़रमाया:

“बेशक रजब अल्लाह का बरकत वाला महीना है।”

फिर आपने (मग़ब) हर दिन के रोज़े की फ़ज़ीलत बयान की। इस पर आप (मग़ब) से पूछा गया:

“ऐ अल्लाह के रसूल! अगर कोई रोज़ा रखने की ताक़त न रखता हो, तो वह क्या अमल करे ताकि उन अज़्रों को पा सके जिनका आपने ज़िक्र किया है?”

तो रसूलुल्लाह (मग़ब) ने फ़रमाया:

“उसे चाहिए कि वह माहे रजब के हर दिन अल्लाह तआला की तस्बीह सौ (100) मर्तबा इस तरह करे:”

“सुब्हानल्लाह अल-अज़ीम।
सुब्हान मन् ला यंबगी तस्बीह इल्ला लहू।
सुब्हानल्लाह अल-अज़ीज़ अल-अकरम।
सुब्हानल्लाह अल्लज़ी लबस अल-इज़ज़ा व हुवा लहू अहल।”

इसलिए यह मुनासिब नहीं कि मालदार मोमिन हर मुस्तहब रोज़े के बदले ग़रीबों को कुछ खाने का सदाका न दें और सिर्फ़ इन तस्बीहात पर ही इक्तिफ़ा करें।

(1) जुदी का पहाड़ - बहुत पुरानी ईसाई और इस्लामी रिवायत के मुताबिक (कुरआन-ए-मजीद, सूरह हूद 11:44 की बुनियाद पर), यह वह मुकाम है जहाँ हज़रत नूह (अ.स.) उतरें और जहाँ तूफ़ान-ए-अज़ीम के बाद कशती ठहरी। कुरआनी रिवायत यहूदी-ईसाई क्रिस्से से मिलती-जुलती है। जूदि या करदू पहाड़ को तिगरिस दरिया के मंबा पर, जिज़रे शहर के करीब, मौजूदा सीरिया-तुर्की सरहद के पास एक चोटी के तौर पर पहचाना जाता है।